

फार्मास्युटिकल उद्योग के सुदृढीकरण हेतु योजना

प्रलिस के लिये:

फार्मास्युटिकल उद्योग के सुदृढीकरण हेतु योजना, सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री।

मेन्स के लिये:

भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग, स्वास्थ, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 की अवधि के लिये 500 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परविय के साथ फार्मास्युटिकल के सुदृढीकरण हेतु योजना के लिये दशानरिदेश जारी किये हैं।

प्रमुख बदि

परचिय:

- योजना के तहत सामान्य सुवधियों के नरिमाण हेतु फार्मा समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- SMEs और MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) की उत्पादन सुवधियों को अपग्रेड करने हेतु ब्याज सबवेंशन या उनके पूंजीगत ऋणों पर पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी, ताकि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नयामक मानकों (वशिव स्वास्थ संगठन की 'गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस' या अनुसूची 'एम') का पालन कया जा सके, जससे मात्रा के साथ-साथ गुणवत्ता में वृद्धि को और सुगम बनाया जा सकेगा।
 - वशिव स्वास्थ संगठन की 'गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस' गुणवत्ता आश्वासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो यह सुनिश्चति करता है कि औषधीय उत्पादों का लगातार उत्पादन और नयितरण उनके उपयोग हेतु उपयुक्त गुणवत्ता मानकों और उत्पाद वनरिदेश का पालन करे।
 - दवाओं और सौंदर्य प्रसाधन नयिमों की अनुसूची 'एम' भारत में फार्मास्युटिकल उद्योग के लिये 'गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस' संबंधी आवश्यकताओं को परभाषति करती है।

घटक:

- सामान्य सुवधियों हेतु फार्मास्युटिकल उद्योग को सहायता (APICF):** इसका उद्देश्य सामान्य सुवधियाँ सुनिश्चति कर उनके नरितर वकिस हेतु मौजूदा फार्मास्युटिकल क्लस्टरों की क्षमता को मज़बूत बनाना है।
 - इसके तहत पाँच वर्षों में 178 करोड़ रुपए के परविय के साथ प्राथमिकता के क्रम में अनुसंधान एवं वकिस प्रयोगशालाओं, परीक्षण प्रयोगशालाओं, अपशषिट उपचार संयंत्रों, लॉजसिटिक केंद्रों और प्रशक्षिण केंद्रों पर ध्यान केंद्रति करते हुए सामान्य सुवधियों के नरिमाण समूहों हेतु सहायता का प्रस्ताव है।
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नयामक मानकों को पूरा करने हेतु प्रमाणति उपलब्धियों वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम फार्मा उद्यमों (MSMEs) को आगे बढ़ाने के लिये फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन अससिटेंस स्कीम (PTUAS)।
 - इसके तहत SMEs के लिये प्रतविरष अधिकतम 5 प्रतशित छूट पर ब्याज दर (एससी/एसटी के स्वामति और प्रबंधन वाली इकाइयों के मामले में 6 प्रतशित) या 10 प्रतशित क्रेडिट लिक्विड कैपिटल सब्सिडी के माध्यम से सहायता का प्रस्ताव है।
 - पाँच वर्ष की अवधि के लिये उप योजना हेतु 300 करोड़ रुपए का परविय नरिधारति कया गया है।
- फार्मास्युटिकल और मेडिकल डवाइसेस प्रमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम (PMPDS):** इसे अधयन / सर्वेक्षण रपौरट, जागरूकता कार्यक्रम, डेटाबेस बनाने और उद्योग को बढ़ावा देकर फार्मास्युटिकल व मेडिकल डवाइसेज़ सेक्टर की वृद्धि और वकिस को सुवधायनक बनाने के लिये शुरू कया गया है।
 - पीएमपीडीएस उप-योजना के तहत फार्मास्युटिकल और मेडिकल उद्योग के बारे में ज्ञान एवं जागरूकता को बढ़ावा दया जाएगा।

महत्त्व:

- यह मौजूदा बुनियादी सुविधाओं को मज़बूती प्रदान करने के साथ ही फार्मा क्षेत्र में भारत को विश्व स्तर पर नए अवसर प्रदान करेगा।
- इससे न केवल गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि क्लस्टरों का सतत विकास भी सुनिश्चित होगा।
- यह योजना देश भर में मौजूदा फार्मा समूहों और एमएसएमई को उनकी उत्पादकता, गुणवत्ता और स्थायित्व में सुधार के लिये आवश्यक समर्थन के संदर्भ में बढ़ती मांग को संबोधित करेगी।

फार्मा सेक्टर से संबंधित योजनाएँ:

- **बलक ड्रग पार्क योजना को बढ़ावा देना:**
 - सरकार का लक्ष्य देश में थोक दवाओं और उनके निर्माण लागत के लिये अन्य देशों पर निर्भरता को कम करने हेतु राज्यों के साथ साझेदारी में भारत में **3 मेगा बलक ड्रग पार्क** विकसित करना है।
 - यह योजना दवाओं की निरंतर आपूर्ति और नागरिकों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में भी मदद करेगी।
- **उत्पादन-संबंध प्रोत्साहन योजना:**
 - पीएलआई योजना का उद्देश्य देश में **क्रिटिकल की-स्टार्टिंग मैटेरियल्स (KSMs)/ड्रग इंटरमीडिएट और सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (APIs)** के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना है।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/strengthening-of-pharmaceutical-industry-scheme>

